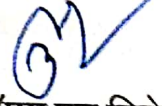


प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन पर औचित्यपूर्ण टीप

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. खरगोन द्वितीय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में मध्यप्रदेश में परीक्षण उपरान्त तदनुसार 33 के.व्ही. विद्युत लाईन चिरीया से तितरान्या का कार्य कराया जाना दर्शाया गया है। जन कल्याणकारी उक्त योजना के प्रस्तावित एक रेखण से वनमण्डल खरगोन के वनक्षेत्रों में पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, योजना में अनुमति जारी करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करने की अनुशंसा की जाती है।



(एम.एन.त्रिवेदी)

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खरगोन.